न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 84/2023 बउनवानी देवीलाल बैरवा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
पुत्र श्री सुवालाल बैरवा निवासी लवकुश कॉलोनी खेरद सवाईमाधोपुर
GCMS No-2023/185

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
06.2.2024	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी,तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 1.11.2023 लोक सूचना अधिकारी,तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 1. तहसीलदार स0मा0 को दिनांक 29.9.2023 को प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी प्रस्तुत कर जमाबन्दी मे अंकित नाम बादाम, पारवती,एवं नटी देवी पुत्री बिसन्या ग्राम अडूडी, पटवार हल्का आटूनकलां की कृषि भूमि के ख0न0 34,120, 157,158,159,160,161 की गिरदावरी चाहने हेतु आवेदन जरिये डाक भिजवाकर उक्त ख0न0 की वर्तमान गिरदावरी की प्रमाणित प्रतियॉ उपलब्ध करवावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी,तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभय पक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। पैरोकार राजस्व द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/23/07 दिनांक 4.1.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 1.11.2023 मे चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 386 दिनांक 29.11.2023 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि चाही गयी सूचना (सम्वत् 2077,2078,2079 की गिरदावरी का संधारण) राजस्व अधिकारी एप द्वारा ऑन लाईन की गयी थी जिसका पटवारी स्तर पर ऑफलाईन रिकार्ड संधारण नही है तथा वर्तमान मे उक्त एप को सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है और नया एप राज. खसरा गिरदावरी सम्वत् 2080 खरीफ की गिरदावरी करवायी गयी है लेकिन पुराने एप का डाटा नही दिया गया है। इस प्रकार चाही गयी सूचना कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 1.11.2023 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध में नियमानुसार मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेखागार की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Khushaal Yadav Date: 2024.03.21 14:06:22 IST Reason: SelfAttested (डॉ0 खुशाल यादव) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner